



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रतानाडा, जोधपुर - 342001

फोन नं. - 0291-2612086, 2656355 फैक्स - 0291-2615372 ई मेल - jdajodhpur-rj@nic.in

रहवासीय/ व्यावसायिक भूखण्डों की भव्य नीलामी माह : अक्टूबर 2014

नीलामी स्थल - प्राधिकरण परिसर

समय प्रातः 11.00 बजे से

क्रमांक एफ-46/ नीलामी/2014/

दिनांक2014

क्र.स.	योजना का नाम	किस्म	जोन	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल/वर्ग मीटर	बोली प्रारम्भ की दर	अमानत राशि	नीलामी दिनांक/वार
1	शास्त्री सर्कल फूड कॉर्ट	व्यवसायिक (निर्मित दुकानें)	पश्चिम	1	84.115 वर्ग फीट	60,300/- प्रति वर्ग फीट	1.00 लाख	22.10.14 बुधवार
				2	63.905 वर्ग फीट			
				3	68.638 वर्ग फीट			
				4	74.233 वर्ग फीट			
2	राजीव गाँधी नगर आवासीय योजना	आवासीय	पश्चिम	89,90	308.25	10,600/- प्रति व. मी.	0.77 लाख	27.10.14 सोमवार
	सेक्टर - A			104,116 (कार्न्र)	283.05			
	सेक्टर - B			131,132, 67 (कार्न्र)	363.00			
3	वैशाली नगर टारुनशीप योजना	व्यवसायिक	दक्षिण	2,3,4,5,6	15 X 25	35,000/- प्रति व. मी.	0.24 लाख	28.10.14 मंगलवार
	कुल 5 भूखण्ड							
4	सुन्दरसिंह भण्डारी नगर आवासीय योजना	आवासीय	उत्तर	1 (कार्न्र)	322.58	12,800/- प्रति व. मी.	0.64 लाख	29.10.14 बुधवार
				28 (कार्न्र)	250.05			
				130,166, 199 (कार्न्र)	178.43			
				255, 362, 399	178.43			
5	विजयाराजे नगर आवासीय योजना	आवासीय	पूर्व	71	334.44	30,450/- प्रति व. मी.	2.00 लाख	31.10.14 शुक्रवार
				256 कार्न्र	308.89			

मुख्य शर्तें-

- भूखण्डों की नीलामी 99 वर्षीय लीज होल्ड बेसिस पर मौके पर की जावेगी।
- सफल बोलीदाता को भूखण्ड की कुल कीमत को 1/4 राशि 24 घण्टे की अवधि में नकद/डी.डी., बैंकर्स चैक, सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से जमा करानी होगी। ऐसा नहीं किया जाने पर शर्त 1 में वर्णित जमा धरोहर राशि जब्त की जाकर उक्त भूखण्ड को पुनः नीलाम किया जायेगा एवं सफल बोलीदाता से राज. भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत वसूली की जायेगी।
- मौके पर परिस्थिति अनुसार भूखण्डों की साईज व क्षेत्रफल घट-बढ़ सकता है।
- सम्पत्ति जहां है जैसी है, के आधार पर नीलाम की जा रही है।
- क्र.स. 1 से 5 में न्यूनतम 50 रु प्रति वर्गमीटर से कम बोली स्वीकार नहीं की जायेगी
- अधिक जानकारी एवं नीलामी की शर्तों के संबंध में प्रभारी अधिकारी, (नीलामी) से कार्यालय समय में सम्पर्क करे।
- नीलामी की जानकारी जोधपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाईट www.jdajodhpur.rajasthan.gov.in पर देखी जा सकती है।
- धरोहर राशि जमा के साथ व्यक्ति / फर्म की सत्यापित पहचान-पत्र व पैन कार्ड की फोटो प्रति आवश्यक रूप से कैशियर को उपलब्ध करवानी होगी।
- किसी अन्य व्यक्ति/फर्म आदि के नाम से नीलामी में भाग लेने हेतु उस व्यक्ति/फर्म द्वारा प्रतिनिधि के पक्ष में 10/- स्टाम्प पर जारी (तस्दीक शुदा) स्वीकृति पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- धरोहर राशि जमा कराने का समय प्रातः 11.00 बजे तक एवं बोली प्राप्ति समय: अपराहन 2.30 बजे से रहेगा।

प्रभारी अधिकारी (नीलामी शाखा)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर
फोन:- 0291-2656355, 2656356

सचिव
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर



जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर - 342001

फोन नं. - 0291 - 2612086, 2656355 फैक्स - 0291-2615372 ई मेल - jdajodhpur-rj@nic.in

प्रचलित नीलामी की शर्तें

- सफल बोलीदाता को उसकी अन्तिम बोली से मूखण्ड की कुल कीमत की 1/4 राशि 24 घन्टे की अवधि में सचिव, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर के नाम से देय डी.डी./बैंकर्स चैक अथवा नकद जमा करानी होगी। ऐसा नहीं किया जाने पर शर्त 1 में वर्णित धरोहर राशि जब्त की जाकर रहवासीय / व्यावसायिक मूखण्ड निर्मित आवास/दुकान को पुनः नीलाम किया जावेगा।
- सफल बोलीदाता को बोली स्वीकृति की तिथि से 30 दिवस के भीतर शेष 3/4 राशि जमा करवानी होगी अन्यथा उक्त अवधि के व्यतीत होने के पश्चात आगामी 60 दिनों के भीतर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बोली स्वीकृत की तिथि से यह राशि जमा करवाई जा सकती है।
- परन्तु उपरोक्त कालावधि के भीतर शेष 3/4 राशि जमा नहीं किये जाने पर सफल बोलीदाता द्वारा जमा करवायी गयी 1/4 राशि जब्त हो जायेगी एवं नीलामी सुदा मूखण्ड की नीलामी स्वतः निरस्त हो जावेगी।
- आयुक्त जोधपुर विकास प्राधिकरण स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से एक वर्ष की अवधि में अपने स्वः विवेक के अधिकारों का उपयोग करते हुए स्वतः निरस्तीकरण आदेश को वापिस लेते हुए नीलामी को नियमित कर सकते हैं, बसर्ते सफल बोलीदाता 3/4 शेष राशि को 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मय निम्न शास्ती के साथ जमा करवाने को तैयार हो:-
(क) 6 माह तक शास्ती 5% (ख) 6 माह से अधिक शास्ती 10%
- स्वतः निरस्तीकरण की तिथि से एक वर्ष की कालावधि के पश्चात् कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर स्व विवेक से आगामी एक वर्ष की अवधि तक इस प्रकार स्वतः निरस्तीकरण को नियमित कर सकता है वशर्ते सफल बोलीदाता को शर्त क्रमांक 5 में अंकित शास्ती एवं ब्याज की बकाया 3/4 राशि के साथ जमा करवाने को तैयार हो।
- आयुक्त एवं कार्यकारी समिति जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर इस प्रकार से नियमन के लिए पाबंद नहीं है। यह उनका स्वविवेकाधिकार है कि वो प्रकरण को नियमित करे या नहीं, जो कि प्रकरण के गुणावगुण व स्वविवेक पर निर्भर करता है।
- सफल बोलीदाता द्वारा बकाया 3/4 राशि का भुगतान यदि नकद न करवाया जाकर बैंक अथवा डिमाण्ड द्वारा किया जाता है तो जमा की तिथि उक्त बैंक/ डिमाण्ड डाफ्ट द्वारा किया जाता है तो जमा की तिथि उक्त बैंक/ डिमाण्ड डाफ्ट की राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर खाते में क्रेडिट होने पर ही मान्य होगी।
- सफल बोलीदाता द्वारा नीलामी के स्थल पर लगाई गई बोली जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर आयुक्त द्वारा बोली स्वीकृत किये जाने पर ही मान्य होगी।
- आयुक्त जो.वि.प्रा. में किसी भी बोली को बिना कोई कारण बताये स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने की शक्तियां निहित होगी।
- गौके पर नीलामी संचालित करने वाला अधिकारी किसी भी बोली को निरस्त कर सकता है यदि उसकी नजर में दी गई बोली स्वतंत्र एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक नहीं है।
- मूखण्ड की नीलामी किरायेदार स्वागित्व के आधार पर 99 वर्ष के लिए होगी। प्रतिवर्ष निर्धारित दर से लीज राशि का भुगतान करना अनिवार्य होगा जो नीलामी की रकम से अतिरिक्त देय होगी।
- मूखण्डों का उपयोग नीलामी के समय निर्धारित प्रयोजन के अतिरिक्त नहीं किया जावेगा यदि किसी भी समय अन्यथा प्रयोग पाया गया तो जोधपुर विकास प्राधिकरण को अधिकार होगा कि नीलामी को निरस्त कर दे अथवा सरकार व जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा निर्मित नियमों के अनुरूप कार्यवाही अमल में ला सकेगा।
- नियम 14(क) के अनुसार निगमण के लिए कालावधि 3 वर्ष के लिए रहेगी। विफल रहने पर मूखण्ड जडीए द्वारा पुनः ग्रहित कर लिया जावेगा।
- यदि सफल बोलीदाता को नीलामी की तिथि से 15 दिवस के भीतर बोली प्रतिग्रहित किये जाने की सूचना प्राप्त नहीं हो तो यह बोलीदाता स्वयं का उत्तरदायित्व होगा कि वह जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर कार्यालय से जानकारी प्राप्त कर नोटिस प्राप्त करे तथा नोटिस में दी हुई तिथि तक 3/4 राशि जमा करवा दे। नीलामी प्रतिग्रहित किए जाने की सूचना बोलीदाता द्वारा प्राप्त नहीं करने पर बोली के वक्त दर्ज कराए गये पते पर यू.जी.सी. अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा स्वीकृत सूचना बोलीदाता को भेजी जा सकेगी व उक्त पते पर भेजा गया पत्र बोलीदाता को उपलब्ध न होने से अथवा लेने से इन्कार करने पर अथवा नोटिस पावती जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर को प्राप्त नहीं होने की सूत्रत में स्वीकृत का नोटिस तामील होना माना जायेगा।
- राज्य सरकार अथवा जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाने वाले नियम व शर्तें मान्य होगी।
- अन्य शर्तें जो भी मूखण्ड पर लागू होगी गौके पर बताई जायेगी।

उपरोक्त शर्तें क्र. 1 से 17 गैने पढ़कर समझ ली है जो मुझे मान्य है।

दिनांक

मूखण्ड सं. योजना

क्षेत्रफल वर्गमीटर

कीमत राशि

क्रेता का नाम

पति/पिता का नाम

पता

हस्ताक्षर

तिथि